



2026:AHC-LKO:40508

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 11967 सन 2025

राजाराम पाल

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : रमाकर शुक्ला

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राजीव कुमार मिश्रा रुद्र

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150 सन् 2025, धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना - अखंड नगर, जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 10.06.2025 से जेल में है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त विकास पाल के समान है, जिसे इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2457 सन् 2026 में पारित दिनांक 13.05.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इन



परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दिनांक 13.05.2026 के जमानत आदेश की छायाप्रति अभिलेख पर ले ली गई है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त विकास पाल को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों, सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

6. आवेदक - **राजाराम पाल** को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150 सन् 2025 में, अपना व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष खुलासा करने से विमुख किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तारीख पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।



- (iv) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।
- (vi) आवेदक को (क) मामले की शुरुआत, (ख) आरोप तय किए जाने; और (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ काटने के लिये स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ विद्वान न्यायालय को जमानत रद्द करने के संबंध में मामले में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

[न्यायमूर्ति राजीव सिंह]

जून 8, 2026

वीकेएस